

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (जनजातीय परिषद) विनियम, 2009

(2009 का सं. )

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के निकोबार जिला के जनजातीय परिषद में निकोबारी अनुसूचित जनजातियों को उनके कार्यों के स्वायत्त सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रबन्धन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करने हेतु एक विनियम ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित विनियमों को प्रख्यापित करते हैं :—